



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)  
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
**18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.**  
**Tel.: 011-2695168, 8860748880**  
**Email- mpquota@kvs.gov.in**  
 Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 10.08.2020

**सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश**

माननीय सांसद **Shri Babul Supriyo** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **506** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	ANGEL KUMARI	BHO;LA KUMAR HELA, M 9064591264	7	ANDAL WB
2	ABHISHEK MONDAL	ARJUN MONDEL, M 9932536522	7	ASANSOL WB
3	NAMITA PRASAD	BINOD PRASAD ARADANGA, M 9002103430	5	ASANSOL WB
4	AKRITI BURNWAL	SANJIT KUMAR BURNWAL, M 9434679434	3	ASANSOL WB
5	ADITI KUMARI	ABHISEKH KUMAR, M 9434236536	4	ASANSOL WB
6	NITYA CHOUHAN	ROSHAN CHOUHAN , M 9332451007	4	ASANSOL WB
7	AHEEN RAJAK	SUBHASIS RAJAK , M 8617419220 8250736910	2	ASANSOL WB
8	ISOURAV ANKURA	NIRMAL ANKURE, M 7679175256	4	ASANSOL WB
9	ANUSHKA KUMARI	C K PANDIT, M 7367029980	1	CHITTARANJAN CLW WB
10	ADRIK DAS	BASUDEV DAS, M 9832224069 7866057678	1	ASANSAL WB

प्रति ठाकुर  
 10/8/20

कृ. पृ. उ.

**निर्देश:-**

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

**प्रतिलिपि:**

1. Shri Babul Supriyo माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, KOLKATA संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)